[Shri B. R. Shukla]

Last year, this House passed an amendment to the Constitution inserting article 31C which says that if in a law itself it is declared by Parliament that that law is enacted for giving effect to the Directive Principles of State Policy contained in article 39(b) and (c), that is, to break up monopoly or concentration of wealth, then the validity of such law cannot be questioned in a court of law. So, in order to put this measure on a sound constitutional footing, I have put in this amendment that it should be declared in this very law that it is being enacted in order to give effect to the provisions of article 39(b) and (c) of the Constitution.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I know that the hon. Member is very well intentioned in this matter and he has tried to help us to ensure the constitutionality of this measure in case it is raised in the Supreme Court etc. But I can assure him that we have considered this question very carefully.

In this Bill what we are really doing is that we are adding a new chapter to the Income-tax Act, the Wealth Tax Act etc. It is fundamentally designed to prevent tax evasion and under-valuation of properties. Really speaking, it is not therefore, necessary to have the declaration which he thinks is necessary. I can assure him that it will be rather very superficial and lighthearted if we start making such declarations. If we make that kind of declaration here, it will be a matter of ridicule. I do not think, therefore, that it is necessary to have it.

SHRI B. R. SHUKLA: I am not quite convinced, but certainly in view of the considered opinion which the Finance Minister has formed about the future course of litigation, I am not pressing my amendment.

MR. SPEAKER: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

Amendment No. 6 was, by leave, withdrawn.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I beg to move:

"That the Bill, as reported by the Select Committee, be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as reported by the Select Committee, be passed."

The motion was adopted.

12.58 hrs.

PUNJAB NEW CAPITAL (PERIPHERY) CONTROL (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL

MR. SPEAKER: Now, there is a very small and innocent Bill, namely the Punjab New Capital (Periphery) Control (Chandigarh Amendment) Bill. If hon. Members could finish it without much discussion, then we may pass it before lunch.

AN HON. MEMBER: Let us have it after lunch.

MR. SPEAKER: Then, the hon. Minister may move the motion.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA) : I beg to move :

"That the Bill further to amend the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, as in force in the Union territory of Chandigarh, be taken into consideration."

This is a very small piece of legislation. The Punjab New Capital (Periphery) Control Act was enacted with a view to see that unauthorised structures did not come up around the city of Chandigarh some ten miles around Chandigarh. But it has been observed that some shabby-looking structures not consistent with the aesthetic and elegant point of view with which the city was built up are coming up.

13 hrs.

It is primarily to prevent this sort of unauthorised structures that this Bill has been brought before the House.

SHRI MADHURYYA HALDAR (Mathurapur): Are they going to be demolished?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Yes, but legal authority is necessary for the purpose. Hence this Bill.

As pointed out by the Punjab High Court, there is a doubt whether the Deputy Commissioner can exercise the power of demolition etc. We want to get over the difficulty by providing for rules for the purpose.

There are some ancillary provisions also. It is to achieve these things that the Bill has been brought before the House. I move.

MR. SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, as in force in the Union territory of Chandigarh, be taken into consideration."

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के उद्देश्यों का ताल्लुक है मैं उस के साथ सहमत हूं और जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स इस में दिया है उस के मुताल्लिक मुझे कोई बहुत शिकायत नहीं है। लेकिन इस बिल में डिप्टी कमिश्नर को काफी पावर्स दी गई हैं और यह कहा गया है पन्द्रहवीं लाइन में :

> "re-erected only in accordance with such conditions as may be prescribed."

डिप्टी कमिश्नर जो कंडीशंस प्रेस्क्राइब करेगा उस के अनुसार यह इजाजत होगी और इसी के साथ ही कुछ रूल मेकिंग पावर है जिस में कि कुछ नियम बनाए जाएंगे। उस में अभी भी हमें मालूम नहीं कि क्या कंडीशंस होंगी और क्या रूल्स बनाए जाएंगे? मेरा अभी तक का अनुभव यह है कि इस ऐक्ट को लागू करने में, इस को इम्प्लीमेंट करने में काफी मुश्किलात उन लोगों को झेलनी पड़ेंगी जो कि इस पेरीफेरी एरिया में रहते हैं क्योंकि इस एरिया में ज्यादातर देहात के लोग आते हैं और अपनी खेती बाड़ी के लिए, जैसे इस में है कि जो कुछ ट्यूबवेल वगैरह इस्तेमाल होंगे उन के निर्माण के लिए डिप्टी कमिश्नर ही परमीशन देगा। असली अमल में काफी दिक्कतें आती हैं और कई कई महीने लग जाते हैं। मामूली स्ट्रक्चर कहीं कोई ट्यूबवेल है उस के ऊपर कोई छोटी सी छत बनाना चाहता है तो उस में भी काफी देर लग जाती है और उस में भी काफी एतराज होता है। देहात के लिए हमारे जो टाउन प्लानर्स हैं उन्होंने कोई प्लान किसी तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बनाया। तो या तो देहात के लिए कोई प्लान बनाएं कि इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे...

अध्यक्ष महोदय : आप कितना टाइम लेना चाहते हैं ?

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : मैं दस मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर लंच के बाद बोल लीजिएगा।

13.02 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Four Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, just now I have received a telegram from Calcutta which says that two trade union leaders were invited to meet the Labour Minister in the Writers Building and within the Writers Building they were manhandled by a set of people... (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: ... instigated by the Congress. Inside the Government Secretariat this is happening... (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: When they come to attend a meeting they have been beaten up. (*Interruption*) It is a very serious matter.

Then, we do not know what happened to the Bombay strike. Two full days have gone. Yesterday, there was a Bombay *bundh*. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order Please. Please sit down.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will you kindly ask the Minister to make a statement? (*Interruption*)

Shall I lay it on the Table of the House so that you can examine it?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, order. It is a matter of law and order in the State. How does it come in here, now? Shri Vidyalankar.

14.50 hrs.

PUNJAB NEW CAPITAL (PERIPHERY) CONTROL (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL—*Contd.*

SHRI AMARNATH VIDYALANKAR (Chandigarh): I was saying that I would have agreed even if the law was made more stringent if I was assured that in its execution difficulties will not arise. Those who have experience of the execution of this law know the actual difficulties. I want to bring before the House those difficulties so that the Government might see that those difficulties should not arise.

This law is mostly concerned with the rural people because it operates in ten miles of area surrounding the city boundaries of Chandigarh. Inhabitants are mostly poor people and oustees. Their lands have been acquired; in some cases lands have been acquired only partially or they are about to be acquired and they are facing uncertainty, and cannot decide what kind of building they should erect. In most cases, when houses are acquired, portions of the lands still remain with them. For their living they want to build something. They have to pass through so many procedural difficulties. The problem mostly concerns the oustees. They either encroach on Government land or erect all sorts of structures. That is why slums are coming up. About 10,000 families are houseless because we have not provided anything for these oustees, or for industrial labourers or the petty shopkeepers or pedlars or even the sweepers who are working in the city. For the poorer sections, we have not provided housing in the whole Chandigarh plan and the result is that all sorts of buildings and huts and structures are coming up, in a haphazard way.

First the origin of the problem should be tackled. Then only we can enforce the law properly. The difficulty becomes acute because in the whole of India Chandigarh is the only city where no rent restriction Act applies. That creates difficulty for poorer sections of people as they could not afford to hire accommodation on rent. They have to live somewhere and open sites are converted into living sites and all sorts of hutments are erected and slums appear all round.

It is provided in the law that if an application is made and within three months a reply was not recovered automatically it is assumed that the application is granted. In many cases the Government fails to give orders within that prescribed period. The result is that these unauthorised structures are built up.

One more reason is. Under section 15(b) exemption is given for places of worship. Under that guise many structures arise. The law should be implemented with a certain amount of understanding.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are speaking on the original Act, not on the amending Bill.

SHRI AMARNATH VIDYALANKAR: The Deputy Commissioners are being given wide powers and it is not only for agricultural purposes. They may prescribe in the rules even impossible conditions.

In this Act, one more thing is not clear to me. Power is given to the Deputy Commissioner to receive the application. When the original Act was

passed, Chandigarh formed part of Punjab. Now, the Deputy Commissioner of Chandigarh has jurisdiction only within the Chandigarh territory. This law is applicable for an area 10 miles around Chandigarh. Now, which Deputy Commissioner will receive the applications is not clear to me. It is not clear whether a Deputy Commissioner in Punjab area or Haryana also will have jurisdiction in this case to receive and decide applications. Who will control the whole plan? Something ought to be done with regard to this ambiguity.

I have another suggestion. The village houses in the urban areas should not be disturbed. Already there are nearly 10,000 homeless families in Chandigarh area. If the existing village houses were destroyed to construct new types of houses, the housing problem will become more acute. Therefore, this law should be enforced in a manner that most of the rural houses were not destroyed. They may be remodelled if necessary but they should not be destroyed. In the Chandigarh plan, some kind of plan for urban villages should be incorporated. After all, the plan that was made so many years ago is not so sacrosant. According to the needs of the time, changes can be made. So, I suggest that a plan for urban villages should be incorporated in this. If it is done, so many difficulties would be overcome.

श्री मान सिंह भौरा (भटिंडा) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस छोटे से बिल पर विद्यालंकार जो ने काफी कुछ कहा है। जो इसमें अमेन्डमेन्ट करने जा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर को पावर्स पहले भी थीं, और उसको अख्तियार दे रहे हैं कि वह जुर्माना कर सके उन लोगों पर जिन्होंने कोई नाजायज कांस्ट्रक्शन कर लिया है, वह कांस्ट्रक्शन जोकि प्लान के मुताबिक न हो, उन पर वह पांच सौ रुपया जुर्माना कर दे और 50 रुपया हर रोज जुर्माना करता चला जाये। हमने देखा है कि चंडीगढ़ के दस मील के एरिया में कुछ गांव भी हैं। जहां पर आप जिन गावों को डिमालिश कर देते हैं उनको कम्पेनसेशन भी देना होता है लेकिन वह बहुत देर तक तय नहीं होता है। हम देखते है कि बहुत सारे लोग जिनकी जमीनें ले ली गई हैं, उनके जो घर थे वह ढा दिए गए हैं, उनके लिए बहुत सारे झगड़ पड रहे हैं लेकिन सरकार से अभी तक यह पता नहीं कि उनकी सुनवाई कहां पर होगी और कब होगी। इसमें आप डिप्टी कमिश्नर को पावर्स दे रहे हैं लेकिन जो लोग एप्लीकेशन देते है उनकी सुनवाई अफसर लोग कितनी करते हैं यह हम जानते ह। इसलिए म समझता हूं इस अमेन्डमेन्ट के साथ में यह करना बहुत जरूरी है कि कोई पब्लिक रिप्रज़न्टटिव कमेटी हो जो लोगों की सुनवाई कर सके। यह रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप लोगों के मकान डिमालिश करेंगे तो बहुत झगड़े पड़ेंगे, कुछ दूसरे बड़े लोग दूसरी ऐसी बातें पैदा कर देंगे ऐसी हालत में पब्लिक रिप्रेज़न्टेटिव कमेटी का रोना बहुत जरूरी ताकि लोगों की सुनवाई वहां पर हो सके।

इसके अलावा जसा पंडित जी ने अभी कहा है कि वहां पर रेन्ट रेस्ट्रिक्शन कन्ट्रोल ऐक्ट नहीं है जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल है लोगों को मकान नहीं मिल रहे हैं और किराये इतने मंहगे हैं कि जो मजदूर है या छोटी तनख्वाह वाले हैं उनको मकान मिलना बहुत मुश्किल है। दस मील के एरिया में अगर कोई गरीब आदमी झुग्गी बनाकर रहेगा तो उसको रहने नहीं दिया जायेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जोकि वहां जाते हैं और अपने खोखे बनाकर रोटी कमाते हैं। जितनी देर स्टेट आफिस के लोगों को कुछ देते रहते हैं तब तक ठीक है लेकिन जैसे ही कोई झगड़ा पड़ जाये तो वह अपनी ट्रक लेकर आ जाते हैं और उनके खोखों कोडिमालिश कर देते हैं। एक तरफ हम हिन्दुस्तान में सुन्दर शहर बना रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो वहां पर रहने वाले गरीब लोग ह उनका ध्यान भी हमें रखना चाहिए। शहर बन रहे हैं लेकिन वहां पर गरीब लोग रह नहीं सकते हैं वे वहां पर अपनी रोटी नहीं कमा सकते हैं। वे अपने रेढ़े वहां खड़े नहीं कर सकते हैं। उनको भगा दिया जाता है। आप पैरिस की तरह का माडर्न शहर

[श्री भान सिंह भौरा]

बना रहे हैं लेकिन इसमें उन लोगों के लिए भी सोचिए जिनके लिए आपने कहा है कि हम गरीबी दूर करेंगे। आज चंडीगढ़ में उन लोगों के रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। क्या आपने वहां पर उन गरीब लोगों के लिए भी कोई जगह बनाई है जहां पर वे रह सकें। आपने कभी यह बात नहीं सोची। वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज बनी हैं, अच्छी से अच्छी बन रही हैं। अफसर लोग अपनी कोठीयां बनाकर किराये पर दे देते हैं और खुद गवर्नमेन्ट बंगलों में ही रहते हैं। इतनी जबरदस्त घपलेबाजी जो वहां पर हो रही है क्या इसको भी आपने कभी सोचा है?

आज आप चंडीगढ़ के लिए यहां पर अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं लेकिन तीन साल हुए जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि चंडीगढ़ पंजाब को जायेगा और उसके लिए एक बाउन्ड्री कमिशन बनाया जायेगा . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is a different question.

श्री भान सिंह भौरा : यहां पार्लमेन्ट में आप अमेन्डमेन्ट करने जा रह हैं, चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल है, आपने कहा था कि बाउन्ड्री कमिशन बनेगा लेकिन अभी तक नहीं बना। मैं समझता हूं सरकार की आदत रही है कि उस वक्त तक . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: I say that has nothing to do with the Bill.

श्री भान सिंह भौरा : सरकार उस वक्त तक कुछ नहीं सोचती है जबतक कि कुछ गड़बड़ न हो, कोई भूख हड़ताल न हो, जब ऐसी कोई बात होगी तभी सोचेंगे। वरना सरकार ने जो फैसला किया था उसको इम्प्लीमेन्ट क्यों नहीं करती है? यह सबसे जरूरी है क्योंकि तीन साल हुए, मैं चाहूंगा मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से कहे कि उसका फैसला करें, जो झगडे वाली बात है...

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is irrelevant. It has nothing to do with the Bill. If you have nothing more to say on this Bill, I will call another Member. This has nothing to do with the Bill.

श्री भान सिंह भौरा : यह मामला इतना ज़रूरी है कि. . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is important. But it has nothing to do with the Bill. It should be referred to at the appropriate time when the opportunity arises.

श्री भान सिंह भौरा : यह जो अमेंन्डमेन्ट करने जा रहे है इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। बड़े लोगों पर 5 सौ जुर्माना भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, 50 रु० रोज़ भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा लेकिन अगर किसी की झोपड़ी उखाड़ देंगे तो वह कहीं का नहीं रहगा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं जैसा मैंने पहले कहा अगर आप इसको इम्प्लीमेन्ट करना चाहते हैं तो एक डिटेल्ड बिल लायें जिसमें रेन्ट रेस्ट्रिक्शन हो और जो गरीब आदमी है उनके लिए कालोनीज़ बनाई जायें, सिर्फ अमीरों के लिए कोठीयां ही न बने और जो जुर्माना करने जा रहे हैं उसके साथ ही जैसा मैंने कहा एक पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव कमेटी हो जो देखे कि यह जायज़ है या नहीं क्योंकि अफसर लोग कुछ भी नहीं करेंगे।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री जी इस बिल के जरिये तरमीम लाये हैं। यह सही है कि चंडीगढ़ एक बहुत खुबसूरत शहर है, उसकी खुबसूरती को कायम रखने के लिये ऐसे लोगों पर रेस्ट्रिक्शन लगाये जा रहे हैं जो ऐसी ग्रोथ करने वाले हों खामख्वाह अपना कोई मकान खडा कर दे और शहर की खुबसुरती को खराब करें। यह बड़ा डिसप्यूटेड पोईंट है क्योंकि देहात में जब हम जाते हैं जो कि चन्डीगढ़ के आस पास हैं, उन के डेवलपमेंट के लिये वहां कोई गुंजायश नहीं है। वे रोते हैं कि हमारे लिये कोई सड़क नहीं आयी, वह

कहत ह कि जो खेती के लिये सीड चाहियें वह नहीं मिल रहा है। वह कहते हैं कि यहां अस्पताल और स्कूल के लिये क्या गुंजायिश है? तो चंडीगढ़ के इर्दगिर्द जितने देहात हैं यह इस बात के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन उन की तरफ़ जो ध्यान देने वाला सब से बड़ा अफ़सर है वह ध्यान नहीं देता है, और लोगों को मिलने के लिये भी वक्त कम देते हैं। देहात वाला आदमी अपना काम छोड़ कर आता है, वह चाहता है कि उन की जमीन पर चंडीगढ़ शहर बना, लेकिन वाजिब तौर पर चाहता है कि अगर हमारी जमीन ली है तो जो हमारे पास बची है या हमारे पास है, उस पर ठीक ढंग से अपना गुजारा कर सकें उस के लिए कौन सी सहूलियतें आप ने दी हैं, वह मैं जानना चाहता हूं? क्या मंत्री जी के पास ऐसे हस्टेटिस्टिकस हैं कि इर्दगिर्द के देहात में वहां जमीन हवाई अड्डे के लिये, वेस्टर्न कमान्ड के लिये और चंडीगढ़ शहर के लिये ली, उस को इस ढंग से तक्सीम किया कि वेस्टन् कमान्ड एक तरफ है और दूसरी तरफ़ हमारा रेलवे स्टेशन है, एक तरफ़ हवाई अड्डा है और दूसरी तरफ किसी को भी गुंजायिश नहीं है कि उस में कांस्ट्रक्शन कर सके। इर्दगिर्द के इलाके में यह हुक्म है कि बिना हकूमत से पूछे कोई कांस्ट्रक्शन न करे तो फिर नये सिरे से रेस्ट्रिक्शन लगाना उचित नहीं है।

अब तो बहुत सारे ऐसे कांस्ट्रक्शन्स हो चुके हैं और बहुत से अनअथोराइज्ड मकान बन चुके हैं, जैसे दिल्ली में बन रहे हैं, मैं सैंकड़ों मिसालें दे सकता हूं दिल्ली के बारे में, कोई उन की तरफ ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही वहां पर ग्रोथ हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिये यह मैं मानता हूं। लेकिन अब रोक कर रहे हैं। तो कम से कम यह तो कीजिये कि जो लोग वहां से हटाये जायें उन को चंडीगढ़ के इर्दगिर्द जमीन मिल जाये। आज वहां जमीन की कीमत बहुत बढ़ी हुई है। 10,20 हजार रुपये एक एकड़ के दर्मियान जमीन की कीमत है। किसी की आप जमीन ले लेंगे तो कम से कम उस को लैंडलैस तो न बनाइये। आस पास ही कहीं और जमीन उन को दे, इस की तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

आप ने कहा रेलीवेंट नहीं है। मैं कहता हूं कि रेलिवेंट है। कल को अगर कोई कमीशन बैठकर के जमीन की तक्सीम करेगा तो आधे गांव जायेंगे पंजाब में और आधे जायेंगे हरियाणा में। चंडीगढ़ किधर जायगा इसका हल हमें पता नहीं चल रहा है। आप कहते हैं कि पेरीफेरी में अनअथोराइज्ड कांस्ट्रक्शन न हों, जो कांस्ट्रक्शन हरियाणा वाले करना चाहते हों उस को रोक लेंगे, पंजाब वालों को रोक लेंगे? सजा आप दे सकते हैं, लेकिन एक प्रौबलेम है जिससे आप नहीं भाग सकते। जो जमीन ऐक्वायर होती है उस के बारे में पहले कौन सा ध्यान दिया गया है।

आज वहां कोई रेंट कंट्रोल ऐक्ट नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां लोगों को निकाला जा रहा है। सरकार ने पेरीफ़ेरी मुकर्रर कर दी, ठीक है, लेकिन वहां लोगों को क्या दिक्कतें हैं उनकी तरफ़ कोई ध्यान नहीं है। रेंट कंट्रोल ऐक्ट न होने की वजह से लोगों का सामान बाहर फेंक दिया जाता है। मैं मानता हूं कि चंडीगढ़ खूबसूरत शहर है और उस को खूबसूरत रखना चाहिये क्योंकि बाहर के लोग वहां आते हैं देखने के लिये डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि आप उस सवाल को टच नहीं करने देते, ठीक है। लेकिन सरकार वहां कौन चला रहा है? या तो हरियाणा के या पंजाब के अफ़सर हैं, और जो डिप्टी कमिश्नर वहां होगा वह अपनी तरफदारी में सारी बात खींचेगा। इसलिये जो ऐडमिनिस्ट्रेशन वहां चलती है वह किस बिना पर चलती है? तो पेरी-फेरी किस तरह से जायेगी और किधर जायेंगी, इस का कुछ पता नहीं। जो चंडीगढ़ के देहात में रहने वाले गरीब लोग हैं वे जब सिर उठा कर देखते हैं तो उन्हें शहर में बड़े बड़े मकान दि

[श्री दरबारा सिंह]

देते ह, लेकिन उन के घर में न बिजली है और न पानी है। एक देहात में आपने किया, लेकिन बहुत देर से किया। उन लोगों की मुसीबतों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन की तरफ ध्यान देना चाहिये ताकि हम कह सकें कि जिन्हों ने चन्डीगढ़ को बनाने के लिये अपनी जमीनें दी हैं, अब जहां वे बैठे हैं उन को तमाम सहूलियतें हम ने मुहैय्या करा दीं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल जैसा हमारे मंत्री महोदय ने पेश किया और पेश करते हुए कहा कि बड़ा इनोसट सा बिल है इस को पास कर देना चाहिये, मेरे ख्याल में जितना यह इनोसेंट लुकिंग है उतना है नहीं। माननीय दरबारा सिंह और पंडित अमरनाथ विद्यालंकार ने बोलते हुए कहा कि गरीब लोग इस की जद में आयेंगे। पंडित जी एक तरफ तो उन गरीब लोगों की तरफ से बोल रहे थे, साथ में कह रहे थे कि इस से भी ज्यादा अगर कड़ी सजा दी जाये ऐसे कांस्ट्रक्शन करने के लिये तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। मालूम होता है कि वह कनफ्यूजन में हैं, उधर गरीब लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं और यहां अपनी सरकार दिखाई देती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करने से पहले सरदार दरबारा सिंह से, जो कि कांग्रस पार्टी के एक खास आदमी हैं सलाह मशिवरा किया था कि नहीं ? यहां हाउस के अंदर रस्मन बोलना कि गरीब लोग इस की जद के अन्दर आयेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

पेरेन्ट ऐक्ट के मुताबिक अगर कोई जरायती काम के लिये या उस से संबंधित काम के लिये कांस्ट्रक्शन कर दे तो डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ती थी और इजाजत उस के लिये डिप्टी कमिश्नर को देनी पड़ती थी। अब क्या है कि इजाजत देने से पहले कुछ कंडीशन्स होंगी जो कि ऐक्ट के अन्दर प्रोवाइड नहीं कीं। श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि जो मेमरेन्डा है डेलीगेटेड पावर्स का उस के अन्दर मंत्री जी ने बताया है कि कंडिशन्स जो हैं यह इस वक्त बताना मुश्किल है। बीमारी यहीं खड़ी होती है। अगर वे कंडीशन्स इस के अन्दर दिखाई पड़तीं तो मेंबरों को पता चलता . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Those rules will be made and laid on the Table of the House.

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: I am quite relevant about this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What I mean is that those rules will be made and placed on the Table of the House. You will come to know of them.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : These powers are delegated to the Government.

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुश्किल क्या थी। आज गवर्नमेंट के सामने जो सारी चीजें हैं और मेरे खयाल में शायद मंत्री महोदय के दिमाग में भी है वह यह कि चंडीगढ़ ड्रीम सिटी आफ दि रशियन आर्किटेक्ट है, जिस ने उस को डिजाइन किया था। जैसा कि उस को डिस्क्राइब किया जाता है। शायद उन के दिमाग में यह बात थी कि चंडीगढ़ को एक ऐसा शहर बनाया जाय जो हिन्दुस्तान के अन्दर बड़ा मशहूर शहर, बल्कि दुनिया के अन्दर मशहूर शहर बन जाये, शानदार शहर दिखाई दे। लकिन गरीब लोगों के लिये जो मुश्किलात होंगी उन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जो हजारों की तादाद में झुग्गी झोपड़ी वाले बैठे हुए हैं उन का क्या होगा ? अगर कोई इस किस्म का कंस्ट्रक्शन करेगा तो उस पर 500 रु० जुर्माना और 50 रुपया डेली चार्ज किया जायेगा। अगर 500 रु० जुर्माना ही होता तब भी बात दूसरी होती लेकिन 50 रुपया डेली इकट्ठा हो कर कितना हो जायेगा ? फिर उस की रिकवरी कैसे

को जायेगी ? **ऐज एरियस आफ लैंड रेवेन्यू** पंडित विद्यालंकार आखिर इस से ज्यादा और क्या सजा चाहते हैं ? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों उन को गोली मरवाना चाहते हैं या तबाह करवाना चाहते हैं ?

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : **आन ए प्वाइंट आफ आर्डर।** पंडित विद्यालंकार का मुकाबला हमेशा जनसंघ से होता है। इस लिये जन संघ के मेम्बर इस तरह का क्रिटिसिज्म कर के इस को एक पोलिटिकल केस बनाना चाहते हैं। यह गलत है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is meeting his arguments. It is perfectly legitimate.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : जो फेनेटिसिज्म आप में है वह मुझ में नहीं है। आप ही लोगों में यह मैनिया हर वक्त रहता कि यह जन संघ का मेम्बर है, यह दूसरा है।

What does it mean? I am speaking on the Bill.

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : शायद श्री मुख्तियार सिंह उस वक्त मौजूद नहीं थे जब मैंने कहा था कि रूल्स बनाने के लिये जो पावर्स दी जायगी उस में जो रूल्स बनेंगे उनके बारे में हमें पता नहीं है कि हमारी क्या पोजीशन होगी।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो सारा जुर्माना इकट्ठा हो जायेगा उस को **एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू** की तरह पर रिकवर किया जायगा। ऐसी हालत में जो गरीब लोग है वह किस तरह से देंगे ? वह कहां जायेंगे ? एक गरीब किसान अपनी झोपड़ी वहां बनाता है। उस को सन की जमीन से महरूम कर दिया गया। उस की जो थोड़ी बहुत अपनी **लैंड है इस पर** उस ने कंस्ट्रक्शन किया है। अब जैसा श्री विद्यालंकार ने फर्माया वह दफ्तरों का चक्कर लगाता फिरेगा और डिप्टी कमिश्नर के यहां उस को कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस से करप्शन ज्यादा फैलेगा क्योंकि पैसे के बगैर कोई काम चलता नहीं है। दफ्तरों के चक्कर काटने में ही उस के बहुत पैसे लग जायेंगे। मैं मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि यह सारी चीजें उन के ध्यान में होना चाहिये। इस लिये इस वक्त इस बिल को उन को वापस लेना चाहिये।

इस के लिये आप अगर हम लोगों से नहीं तो पंडित अमर नाथ विद्यालंकार से सलाह मशवरा करें। चंडीगढ़ के बारे में जो मुश्किलात हैं वह ठीक हैं। मेमोरेन्डम के अन्दर दिया हुआ है कि जब 1966 में रिआर्गेनाइजेशन किया गया था तब कहा गया था कि :

> "It is shared by the Central Government, the Haryana Government and the Punjab Government."

चंडीगढ़ के आस पास दस मील का जो इलाका है उस में वह इलाके हैं जो पंजाब के अन्दर लाई करते हैं, वह इलाके हैं जो हरियाणा के अन्दर लाई करते हैं। उन के बारे में इस ऐक्ट के अन्दर साफ कर देना चाहिये था कि उस इलाके के डिप्टी कमिश्नर को हक होगा जिस के इलाके में यह हिस्से पड़ते होंगे।

आज सवाल पूछा गया। श्री मान सिंह भौरा ने भी कहा और सरदार दरबारा सिंह भी कहना चाहते थे। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हरियाणा को चंडीगढ़ से कोई अलर्जी नहीं है। जैसा सरदार दरबारा सिंह ने कहा कि अवार्ड के मुताबिक फाजिल्का और अबोहर हम को दिये गये हैं। अगर आप कहे तो आज शाम तक हम चंडीगढ़ को खाली करने के लिये तैयार हैं। यह बात नहीं है कि हम चंडीगढ़ के बारे में कोई सख्त रवैया अपना रहे हैं।

इन अल्फाज के साथ मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि यह एक ऐन्टी-पुअर बिल है। यह गरीब लोगों को अफ़ेक्ट करेगा। **बिल इज प्रो रिच।** यानी जो अमीर लोग हैं वह अपने कंस्ट्रक्शन बना सकेंगे आप की कंडिशन्स के मुताबिक। लेकिन गरीब लोग

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक]

कैसे अपने कंस्ट्रक्शन बनायेंगे, उन के लिये क्या कंडिशन्स होंगी अगर वह सब इस बिल में डिटेल कर दी जातीं तो हमें उन के बारे में पता चल जाता।

इन अल्फाज के साथ में आखिर में यही अर्ज करना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस बिल को वापस ले।

श्री सतपाल कपूर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे दोस्त श्री मुख्तियार सिंह ने बहुत सी बात कही। पेरिफेरी एरिया में जो मेन एरिया आता है उस का मैक्सिमम हिस्सा मेरी कांस्टिटुएन्सी में है। आप तो रियासतों में गये नहीं, शायद आप को पता नहीं वहां के देहातों की क्या हालत है और क्या उन की दिक्कत हैं। पहली प्राब्लेम यह है कि आप ने डिप्टी कमिश्नर को अथराइज किया है। कौन से डिप्टी कमिश्नर को? चंडीगढ़ के, अम्बाला के, रोपड़ के या पटियाला के। इस में 40 से ज्यादा गांव रोपड़ के आते हैं, 70 गांव पटियाला के आते हैं और बाकि कुछ गांव अम्बाला के आते हैं। इस ऐक्ट के मुताबिक आप पंजाब के डिप्टी कमिश्नर को आथराइज कर रहे हैं।

दूसरी प्राब्लेम जो है वह यह कि जब चंडीगढ़ राजधानी बनी थी उस वक्त उस का एक बेसिस माना गया था, एक उसूल उस का तय हुआ था। वह उसूल यह था कि जिस किसान की जमीन ली जायेगी या मकान लिया जायेगा उस को उस के बदले में जमीन दी जायेगी। लेकिन पेरिफेरी ऐक्ट के मुताबिक आज जो जमीन ली जा रही है उस के बदले में किसानों को जमीन नहीं दी जा रही है। बल्कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वह भी बहुत कम दिया जा रहा है। चंडीगढ़ हिन्दुस्तान का सब से खूबसूरत शहर कहा जा सकता है, साथ ही हिन्दुस्तान का सब से ऐन्टी सोशलिस्ट शहर भी कहा जा सकता है। यह एक ऐसा शहर है जिस में रहने वाले का पता लग जायेगा कि इस मकान का रहने वाला चपरासी है, इस मकान का रहने वाला डिप्टी सेक्रेट्री है, इस कोठी का रहने वाला सेक्रेट्री है, यहां रहने वाला मिनिस्टर है। इस किस्म का डिजाइन बना हुआ है। हम चाहते थे कि हम हिन्दुस्तान में चंडीगढ़ को एक क्लासलेस और कास्टलेस शहर बनायें लकिन चंडीगढ़ एक क्लास बेसिस पर बना हुआ शहर है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप आज जो जमीन 5,000 रु० एकड़ में लेते हैं वही जमीन आप 5 लाख रुपये एकड़ की हिसाब से बेचते हैं।

SHRI MADHURYYA HALDAR (Mathurapur) : Sir, there is no quorum in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may resume his seat, the bell is being rung.

Now, there is quorum; he may continue his speech.

श्री सतपाल कपूर : मैं अर्ज कर रहा था कि आप देहातों में जो जमीन लेते हैं, जो गांव वाले करवाते हैं उस का मुआवजा देते हैं तीन हजार, चार हजार और पांच हजार रुपये एकड़, लेकिन जब वही जमीन आप प्लाट बना कर बेचते हैं तो 300 रुपये गज, 400 रुपये गज और 500 रुपये गज के हिसाब से देते हैं। मैं नहीं समझता कि जब आप सस्ते दामों पर किसानों से जमीन लेते हैं तब क्यों आप उस को 100 गुने, 200 गुने और 300 गुने दाम पर बेचते हैं। अगर मिनिस्टर साहब यकीन दिलायें और यह अमेंडमेंट करें कि जितना प्रॉफिट उस जमीन पर होगा उस का 50 परसेंट उस किसान को मिलेगा जिस की जमीन ली जायेगी, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

दूसरी बात आप कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर से इजाजत ली जाये। डिप्टी कमिश्नर के यहां एक एक साल लग जाता है छोटी छोटी बातों में। अगर चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर

को दरख्वास्त दी जाय कि मुझे एक ट्यूबवेल लगवाना है और उस ट्यूबवेल के लिये मुझे एक कमरा बनवाने की जरूरत है तो उस एप्लिकेशन को क्लिअर होने में एक साल लग जाता है और किसान लोग मारे मारे फिरते हैं। उस की बात कोई नहीं पूछता है। मैं कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ एक मोस्ट करप्ट इनएफिशिएंट और ब्यूरोक्रेटिक ऐडमिनिस्ट्रेशन है। वहां गरीबों की सुनवाई नहीं होती। झोंपडी वाला गरीब आदमी जो छोटा किसान है वह अगर ट्यूबवेल लगाना चाहे, कुआं खोदना चाहे तो एक एक और दो दो साल उसको मारे मारे फिरना पड़ता है तब कहीं जा कर उसको इजाजत मिलती है।

चंडीगढ़ को बने हुए बीस साल हो गए हैं। टोटल एक्सप्लायटेशन चंडीगढ़ में चल रहा है। वहां पर बड़े बड़े मकान बने हैं, बड़े बड़े लोगों ने फ्लाट्स बनाए हैं। लेकिन चंडीगढ़ में रेंट कंट्रोल एक्ट अभी तक भी लागू नहीं किया गया। उसको फौरी तौर पर लागू किया जाए।

जो बिल बनाया है इसको लागू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब वहां खुद जा कर देख लें और वहां दो तीन दिन तक जा कर अध्ययन करें कि देहातियों की क्या हालत है, गांव वालों की क्या हालत है। पेरीफरी का एरिया बना हुआ है। इसको एमेंड करने से पहले वह जा कर देख लें। जिन के मकान चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंकड़ों की तादाद में पिछले महीनों में गिरा दिये हैं इस वास्ते कि मंजूरी उन्होंने नहीं ली उन लोगों की क्या हालत है। अभी तक भी उन की जमीनों को एक्वायर नहीं किया गया है। जो मकान पांच साल पहले गिराए गए हैं, उनकी जमीनों को भी अभी तक एक्वायर नहीं किया गया है। चंडीगढ़ का आपने एक्सपेंशन करना है। ऐसा करने के लिए जो मकान आप गिराए या जो एरिया आप लेना चाहते हैं उसके लिए मुआवजा आप दें। ऐसा आप करते हैं तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जिस एरिया में अभी आप एक्सपेंशन नहीं करने वाले हैं और पांच दस साल जहां आप जाने वाले नहीं हैं, उन एरियाज के लोगों की जिन्दगी आप क्यों खराब करते हैं। इसका भी कोई हल निकलना चाहिये। इसका एक ही हल है। मिनिस्टर साहब खुद जा कर वहां के हालात को देखें। बहुत बुरी हालत वहां पर है। चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब है, बहुत करप्ट है, बहुत नालायक है। वह गरीब किसानों को जीने नहीं दे रही है।

यह बिल तो ठीक है। इस में आपने एक कार्यवाई पूरी की है। लेकिन एक तो आप वहां रेंट कंट्रोल एक्ट फौरी तौर पर लागू करें। दूसरे फौरी तौर पर मिनिस्टर साहब खुद जा कर हालात का वहां जायजा लें। साथ ही चंडीगढ़ का फैसला भी इमिडिएटली होना चाहिये। कब तक आप इस मामले को लटका कर रखना चाहते हैं। यह ठीक है कि चंडीगढ़ आप पंजाब को दे चुके हैं। लेकिन इस सारे मसले का जो फैसला है वह जल्दी होना चाहिये।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): I had already said when I introduced the Bill that the object of this Bill was very limited, namely the prevention of possible erection or re-erection of structures which were not permitted under the existing law. It has been observed during the last few years that many unauthorised structures which were supposed to be ancillary or subsidiary to agricultural purposes are being actually erected which are however structures or constructions remotely related to agriculture. These shabby-looking structures and haphazard constructions are inconsistent with the architectural design of the city. They are inelegant and unaesthetic and are not covered by the purpose. These are

[Prof. D. P. Chattopadhyaya]

quite in contravention of the existing rules.

I would like to emphasise that all hon. Members who have spoken on the Bill have directly or indirectly agreed with me on the question of the architectural beauty of the city being important and said that we should try to preserve it as far as possible.

The other question which has been raised in this connection, whose importance I do not like to deny, is the question about what we do for the poor people. If in the name of poverty we allow this sort of shabby-looking haphazard constructions to remain there, or we objectively encourage them to come up, then the very purpose for which the city was planned will be defeated. For, we know from our experience of some other big cities of India that lack of plan has created a problem. Here, planning of the city has created a problem. I think we should put up with the problems from the planned city. There are some provisions both of the Central Government and of the State Government for providing houses to the lower income group and also to the other poor people.

So those programmes could be utilised in this connection rather than asking for a relaxation of the provisions of the existing law or opposing the purpose for which these amendments are brought before the House.

It has been asked why the rules are not embodied in the Act itself. As already observed rightly by some hon. members, the question as a big rather complex one. So the rules to be framed under the Act have to be well-considered and the details of the problem have to be looked into. One hon. member has already mentioned that without going into the details of the problem, we should not frame rules because they must not be inconsistent with the purpose for which they are framed. I entirely agree with him. So careful consideration has to be given to the framing of the rules under the Act.

It has been observed from past experience that the powers given to the Deputy Commissioner were in some respects found inconsistent with the interests of the people. The Punjab High Court has in a ruling said that he was given more power than he ought to have been, or rather the manner he exercised the power is not justifiable. That is why we have tried to introduce a slight amendment in the Bill. We do not like to increase the powers of the Dy. Commissioner; rather we want to see that he exercises the existing powers under certain rules, and in framing those rules, we want to see that the poorer and other sections of the people are adequately protected.

So the interests of the poor people have been kept in mind and considering all these things, the Bill deserves the support of the House from all quarters. I commend the Bill.

श्री सतपाल कपूर : चंडीगढ़ शहर में एक भी अनआथोराइज्ड बिल्डिंग नहीं है, किसी बिल्डिंग का एक हिस्सा और यहां तक कि कोई एक ईंट भी उस में अनआथोराइज्ड नहीं लगी हुई है। जो एरिया आपको अभी नहीं लेना या दस साल तक नहीं लेना उसकी प्राबलेम है।

SHRI AMARNATH VIDYALANKAR: We want an assurance that in the execution of the law, the needs and conveniences of the rural people will be properly considered. That is very essential.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: That is precisely what I have said. In framing rules, we will look into those things.

SHRI AMARNATH VIDYALANKAR: Not only in framing rules, but in the execution of the law and the rules.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, as in force in the Union territory of Chandigarh, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are no amendments. The question is:

> "That clauses 2 to 5, clause 1, the Enacting Formula and the Title

stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.50 hrs.

DENTISTS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA) : Sir, I move* :

"That the Bill further to amend the Dentists Act, 1948, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This is again a very small piece of legislation with very limited objectives. It is about some unfortunate dentists, because some denists have come over to India as repatriates from Burma and Ceylon and from what we now call Bangladesh. We find that some of these unfortunate dentists have not found any livelihood. So we want to see that they get some sort of livelihood.

The other object of the Bill is this. Up till now, the Dental Council of India was vested with the powers to look after the methods and modalities of imparting education in dental subjects. We want to see that these powers are vested in the Government of India, because, to bring about some sort of uniformity in the dental education in the country, we need this transference of power from the Dental Council of India to the Government of India.

The other objective we are seeking to achieve in this Bill is providing a sort of common standard, ethos or professional ethics and etiquette in the country. We have also slightly reorganised and redefined the categories of the representatives on the Dental Council of India which are now under the control of the Government of India.

There are two categories of qualifications we recognise. One is the category of dentists who have approved qualifications from India, and the other is the dental qualifications obtained from abroad. But the dentists who have come over to this country as repatriates from Bangladesh, Burma and Ceylon may not come, and in fact they do not come, under any of these categories. That is why we want to have a separate category provided, so that these people can earn their bread.

With these three or four objectives in view, we have brought this legislation before the House for its consideration. With these words, I commend this Bill for the consideration of the house.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Dentists Act, 1948, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Now, there is an amendment to the motion for consideration by Dr. Laxminarain Pandeya. Are you moving it?

DR. LAXMINARAIN PANDEYA (Mandsaur): Yes; I move:

"That the Bill further to amend the Dentists Act, 1948, be referred to a Select Committee consisting of 8 members, namely:

1. Shri Bhagirath Bhanwar
2. Shri Khemchandbhai Chavda
3. Shri M. C Daga
4. Shri K. M "Madhukar"
5. Shri Dhan Shah Pradhan
6. Shri Ramkanwar
7. Shri R. R. Sharma; and
8. Shri Uma Shankar Dikshit

With instructions to report by the first day of the next session" (8)

DR. SARADISH ROY (Bolpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while speaking on this amendment Bill, I want to make some general observations. Now-a-days, in the engineering and medical services, many posts remain

---

*Moved with the recommendation of the President.